न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 65/2022

(GCMS 2022/222)(आरटीआई नं. 21234471922490 1)

विजय कुमार शर्मा पुत्र श्री लाधुराम शर्मा मकान नं. 3, वार्ड नं. 16, पुरानी आबादी पुलिस थाने के पीछे, श्रीगंगानगर (मोबाईल नं. 94143-05448)

बनाम

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

13.12.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी विजय कुमार शर्मा स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक निदेशक, लोक सेवाएं, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 04.07.2022 से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी विजय कुमार शर्मा ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 04.07.2022 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक निदेशक, लोक सेवाएं, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर से निम्न एक बिन्दु की सूचना चाही थी:

> यह कि मुझ विजय कुमार शर्मा के द्वारा कार्यालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर में दिनांक 16.06.2022 को जन सुनवाई कार्यक्रम के अन्तर्गत एक ज्ञापन मय मांगपत्र जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को प्रस्तुत किया गया था। उक्त ज्ञापन पर उनके द्वारा आज दिनांक तक की गई आवश्यक कार्यवाही की प्रमाणित प्रति मय सूचना के अधिकार की मोहर सहित उपलब्ध करवाने का श्रम करें।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.01.01 16:03:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक निदेशक, लोक सेवाऐं, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक लोकसेवा/आरटीआई/2022/736 दिनांक 27.07.2022 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है:

> उपर्युक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन कर सूचना चाही गई है। उक्त आवेदन के बिन्दु संख्या 1 द्वारा कार्यालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर में दिनांक 16.6.2202 को जनसुनवाई कार्यक्रम के अन्तर्गत एक ज्ञापन मय मांगपत्र जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को प्रस्तुत किया गया था। उक्त ज्ञापन पर उनके द्वारा आज दिनांक तक की गई आवश्यक कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि सूचना के अधिकार की मोहर सहित उपलब्ध करवाने का श्रम करावें।
>
> उक्त के संबंध में लेख है कि राजस्थान सरकार द्वारा ने राजस्थान सम्पर्क पोर्टल/सीएम हैल्पलाईन 181 द्वारा Open Grievance Portal की सुविधा उपलब्ध करवायी गयी है। जिसमें परिवाद संख्या या परिवाद दर्ज के समय दिया गया मोबाईल नम्बर/शिकायत संख्या देकर परिवाद विवरण व संबंधित विभाग के द्वारा की गई कार्यवाही (आदेशों/निर्देशों/विनिश्चय) की स्थिति एवं संलग्न दस्तावेज प्राप्त किये जा सकते है। आपके द्वारा प्रेषित आवेदन के बिन्दु नं. 1 की उक्त सूचना 4 पृष्ठों की है, नियमानुसार प्रति पृष्ठ 2 रूपये कुल 08 रूपये सहायक निदेशक, लोक सेवाऐं, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर कार्यालय में जमा करवाए ताकि आपके द्वारा चाही गई सूचना प्राप्त करवायी जा सके।
>
> -sd-
> सहायक निदेशक
> लोक सेवाऐं, कलक्ट्रेट
> श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.01.01 16:03:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

सहायक निदेशक, लोक सेवाऐं, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने उक्त पत्रांक 736 दिनांक 27.07.2022 से अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। **फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए सहायक निदेशक, लोक सेवाऐं, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर** को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी यदि वांछित सूचनाओं हेतु, सूचना का अधिकार अधिनियम के नियमानुसार राजकोष में राशि जमा करवा देवें तो उसे सूचना उपलब्ध करवा दी जावे।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति सहायक निदेशक, **लोक सेवाऐं, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर** को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी [illegible] आदेश [illegible] सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब तकमील दाखिल [illegible] हो।

यह आदेश आज दिनांक 13.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.01.01 16:03:46 IST
Reason: SelfAttested